(536)

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

संकल्प

विषय :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में प्रणाली समाकलक के माध्यम से Point of Sale (PoS) यंत्र का अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण मद में रू0 1405/– प्रतिमाह प्रति पॉस (PoS) प्रति जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) (सभी कर सहित) की दर से वित्तीय वर्ष 2018–19 में 779 लाख (सात करोड़ उनासी लाख) रूपये एवं अगले पाँच वर्ष तक वार्षिक रूप से 9340 लाख (तिरानवे करोड़ चालीस लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के प्रथम एवं द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में Point of Sale (PoS) यंत्र का प्रणाली समाकलक (System Integrator) के माध्यम से अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण एवं पी.एम.यू. के गठन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 19.12.2017 को मद संख्या–21 के रूप में प्राप्त की गयी। तदालोक में संकल्प संख्या 360 दिनांक 23.01.2018 निर्गत किया गया, जिसके आलोक में अगले पाँच वर्षो के लिए प्रणाली समाकलक का चयन हेतु नियमानुसार निविदा (RFP) प्रकाशित की गयी एवं निविदा मूल्यांकन समिति (निविदा समिति) की अनुशंसा के आलोक में Linkwell Telesystems Pvt. Ltd, Hyderabad (L1) के द्वारा दिये गये संशोधित दर ₹ 1405/– (एक हजार चार सौ पाँच) रूपये प्रतिमाह प्रति पॉस (PoS) प्रति जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) (सभी कर सहित) के दर पर मा0 मंत्री महोदय के अनुमोदन प्राप्त करते हुए प्रणाली समाकलक के रूप में चयन किया गया।

2. राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम–2015 के नियम –7 के उप–नियम–6(ख) एवं (7) के अनुसार Rental Model पर पॉइंट ऑफ सेल यंत्र का क्रय, संस्थापन और रख–रखाव करने के लिए चयनित प्रणाली समाकलक को उक्त नियम–7 के उप नियम–1 के अनुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को पॉईंट ऑफ सेल यंत्र के माध्यम से विक्रय के लिए निर्धारित अतिरिक्त मार्जिन प्रति क्वींटल 17 रू0 में से भुगतान किया जाएगा जिसमे से केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि क्रमशः 50:50 प्रतिशत होगी ।

3. यह योजना अगले पाँच वर्ष तक लागू रहेगी। इस अवधि के पश्चात् प्रणाली समाकलक Linkwell Telesystems Pvt. Ltd, Hyderabad के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानों में अधिष्ठापित Point of Sale (PoS) यंत्र को चालू अवस्था में जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को हस्तगत करा दिया जायेगा। राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में PoS यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण के पश्चात् चयनित प्रणाली समाकलक (Linkwell Telesystems Pvt. Ltd, Hyderabad) को ₹ 1405/– (एक हजार चार सौ पाँच) रूपये प्रतिमाह प्रति पॉस (PoS) प्रति जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) (सभी कर सहित) की दर से नियमानुसार राशि का भुगतान किया जा सकेगा। उक्त मद में अगले पाँच वर्षो तक प्रस्तावित व्यय की विवरणी निम्नवत् है :–

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	संभावित व्यय (लाख रू0 में)
1	2018 – 19 का माह मार्च, 2019	779
2	2019 – 20	9340
3	2020 – 21	9340
4	2021 – 22	9340
5	2022 – 23	9340
6	2023 – 24	8562
	कुल :–	46701

(595)

4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत End-to-End Computerization के द्वितीय चरण में राज्य में FPS Automation योजनान्तर्गत जन वितरण प्रणाली दुकानों में प्रणाली समाकलक के माध्यम से Point of Sale (PoS) यंत्र का अधिष्ठापन एवं उक्त यंत्र के माध्यम से खाद्यान्न वितरण मद में ₹ 1405/– प्रतिमाह प्रति पॉस (PoS) प्रति जन वितरण प्रणाली दुकान (FPS) (सभी कर सहित) की दर से वित्तीय वर्ष 2018–19 में 779 लाख (सात करोड़ उनासी लाख) रूपये एवं अगले पाँच वर्ष तक वार्षिक रूप से 9340 लाख (तिरानवे करोड़ चालीस लाख) रूपये व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

5. FPS Automation योजनान्तर्गत प्रणाली समाकलक को PoS यंत्रों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण के विरूद्ध राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा (राज्यों को सहायता) नियम, 2015 के तहत प्राप्त होनेवाली केन्द्रीय सहायता की राशि का व्यय मुख्यशीर्ष 2408–खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, उप मुख्यशीर्ष–01 खाद्य, लघुशीर्ष–101 प्रापण तथा पूर्ति, उपशीर्ष–0405 NFSA के अन्तर्गत खाद्यान्नों के अंतः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राईस शॉप डीलर्स मार्जिन, विपत्र कोड–18–2408011010405, मांग संख्या–18 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

राज्यांश मद में होने वाला व्यय मुख्य शीर्ष 3456, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष 102– सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष 0105–लक्षित जन वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं0–18–3456001020105 मांग संख्या–18 विषय शीर्ष 0105.28.04 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाऐं मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2018–19 के वर्तमान में 3670.87 लाख रूपये का बजट उपबंध है।

6. मंत्रिपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 25.02.2019 को मद संख्या– 48 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन–02/2018/84 टि0 ।

7. संकल्प पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

26/2/2019
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव ।

आदेश :– अतः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।

26/2/2019
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन–02/2018 996 खाद्य–पटना/दिनांक– 26/02/19
प्रतिलिपि – ई–गजट प्रभारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को विषयशीर्ष की अंग्रेजी अनुवाद के साथ M.S. Word मे सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलंब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि गजट की 100 (एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

26/2/2019
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन–02/2018 996 खाद्य–पटना/दिनांक– 26/02/19
प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन–02 / 2018 996 खाद्य–पटना / दिनांक– 26/02/19

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सरकार के सभी विभाग / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रबध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, खाद्य भवन, पटना / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् / सभी विश्वविधालय के कुलपति को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलंब सूचित करा दें।

26/2/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन–02 / 2018 996 खाद्य–पटना / दिनांक– 26/02/19

प्रतिलिपि – बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष / सभी सदस्यों / सदस्य सचिव, बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन–02 / 2018 996 खाद्य–पटना / दिनांक– 26/02/19

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन–02 / 2018 996 खाद्य–पटना / दिनांक– 26/02/19

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी प्रशाखा–05 (बजट शाखा), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/2/2019
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक– प्र07–कम्प्यूटराईजेशन–02 / 2018 996 खाद्य–पटना / दिनांक– 26/02/19

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

26/2/2019
सरकार के सचिव ।